न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

**अपील संख्या एलआरए/31/2014**

**उनवान**

1. हेमराज पिता स्वत्र ज्वारा गुर्जर निवासी मोती बोर का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 64/87 निर्णय एवं दिनांक 25.9.87

अधिवक्तागण :–

1. श्री मांगीलाल सेन,, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी ज्वारा पिता मांगू गुर्जर को ग्राम उदलियास तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 17 में से रकबा 3 बीघा का आवंटन नियमों के विरूद्ध आवंटन हो जाने के कारण विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।
2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की यथासमय अपीलार्थी को जानकारी नहीं हो सकी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। हाल ही में काना पिता भॅवर लाल दरोगा द्वारा कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करने पर राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया व अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी/विपक्षीके पिता को आवंटन किये जाने से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं होने से आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी विपक्षी संख्या 1 को किया गया वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस/सम्मन जारी किया गया । उसकी तामील किसी ज्वारा पिता मांगू के नाम के व्यक्ति को तामील कुनिन्दा द्वारा कराई जाकर अंगूठा निशानी लगाई गई है । जबकि आवंटी ज्वारा पिता भागु अपीलार्थी के अपीलार्थी के पिता थे एवं वह दस्तखत करते थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में आवंटी ज्वारा पिता भागु के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी के पिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता के नाम पर आवंटित होने से अपीलार्थी के पिता वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे । राजस्व रेकार्ड में भी आवंटन के आधार पर अमल दरामद किया गया उसके पश्चात त्रुटिपूर्ण निर्णय से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई । चूंकि साबिक आराजी नम्बर 17 थे जिसमें से 3 बीघा भूमि आवंटन की गई थी । जिसके बट्टा नम्बर 311/17 रकबा 3 बीघा कायम करते हुए नक्शे मे तरमीम की गई थी। सेटलमेण्ट के बाद उक्त भूमि के नये नम्बर 145/501 कायम किये गये जिसे पुनः काना पिता भॅवर लाल दरोगा के नाम आवंटित कर दिये । इसलिए उक्त आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अपीलार्थी की ओर से अलग से की जा रही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर आवंटन खारिज किया कि आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गई थी। इसके संबंध में अपीलार्थी का निवेदन है कि राजस्व केम्प के दौरान उक्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया था चूंकि उक्त आवंटन , आवंटन कमेटी के समक्ष भूमि की उद्घोषणा जारी होकर उपलब्ध थी । जिसका मिलान करने के उपरान्त ही आवंटन किया गया । यदि उद्घोषणा जारी नहीं होती तो उक्त तारीख को उक्त ग्रम में जितने भी आंवटन हुए उन्हें निरस्त क्यों नहीं कर दिया गया । उद्घोषणा जारी नही होने बाबत कोई रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उद्घोषणा को आधार मानते हुए विधिविरूद्ध निर्णय पारित करने में भी भारी विधिक त्रुटि की है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.9.87 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पिता को किया गया आवंटन यथावत रखा जाकर ग्राम उदलियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 311/17 के वर्तमान आराजी नम्बर 145/501 को अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने 25.7.87 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की उद्घोषणा जारी किये बिना आवंटन किये जाने से आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किय गयाा जिसकी तामील दिनांक 12.8.87 को होने के उपरान्त दिनांक 25.9.87 को अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया । आवंटी की मृत्यु के उपरान्त आवंटी के वारिसान में उनकी पत्नि, लडके एवं लडकियॉ कितनी थी। यह तथ्य अपीलार्थी ने अपील मे नही बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी खारिज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये जाने का निवेदन किया साथ ही अपीलाधीन निर्णय की अपील विलम्ब से क्यों की इसका कोई उचित कारण नहीं बताने के कारण अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोष होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थी के पिता ज्वारा को ग्राम उदलियास की आराजी नम्बर 17 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 11.4.1985 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन से पूर्व वादग्रस्त आराजी की उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार आवंटन नियमो के विपरीत हो जाने से आवंटन निरस्त किया जावे। आवंटी द्वारा आवंटन के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा रिपार्ट अंकित की गई थी कि मौजा उदलियास की आराजी जैर बहस का रकबा उद्घोषित नहीं है। जब आवंटन जैर बहस की आराजी को उद्घोषित नहीं किया गया है तो आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में वह भूमि आवंटन योग्य नहीं मानी जा सकती है।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस दिनांक 25.7.87 को जारी किया गया । जिसकी तामील स्वयं ज्वारा पर हुई थी। उक्त नोटिस की पुश्त पर ज्वारा की अंगूठा निशानी लगी हुई है। अपीलार्थी का कथन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व तहसील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है कि नोटिस ज्वारा पिता मांगू को जारी किया गया था जबकि अपीलार्थी के पिता का नाम ज्वारा पिता भागु गुर्जर था। उक्त ज्वारा पिता मांगू लेखनी की भूल की वजह से हुई है। तामील स्वयं ज्वारा/आवंटी पर हुई थी। अपीलार्थी का यह कथन कि उसके पिता हस्ताक्षर करते थे। परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो कि अपीलार्थी के पिता अंगूठा निशानी नहीं कर दस्तखत करते हों।

12. अपीलाधीन निर्णय की पालना में वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया । यदि अपीलार्थी के पिता एवं उसके पश्चात अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होता तो निश्चय ही उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त आराजी पर आवंटी अथवा आवंटी के पश्चात अपीलार्थी का कब्जाकाश्त साबित होता हो। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के तहत 30 दिन में उद्घोषित किया जाना आवश्यक होता है। इस नियम की पालना उक्त आवंटन में नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.9.87 को यथावत रखा जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. निर्णय आज दिनांक 28.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा